

m87P/DY. No. 7
↓

[TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi dated the 10th April, 2015

S.O. (E). Whereas the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) in exercise of the powers under the Industrial Park Scheme, 2002 (hereinafter referred to as the Scheme), as notified vide number S.O.354(E) dated the 1st April 2002, had granted approval vide letter no.15/13/05-IP&ID dated 17.02.2005 to the undertaking being developed, maintained and operated by M/s Meenakshi Infrastructure Private Ltd., Hyderabad at Survey No.5,15,17, Kondapur Village, Serilingampally, Rangareddy District, Andhra Pradesh as an Industrial Park;

And whereas, the Central Government (Ministry of Finance, Department of Revenue, CBDT) in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),(hereinafter referred to as the 'Act') had notified the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s Meenakshi Infrastructure Private Ltd., Hyderabad at Survey No.5,15,17, Kondapur Village, Serilingampally, Rangareddy District, Andhra Pradesh as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii), vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, vide number S.O.No.3466, dated the 21st August 2006 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) ;

And whereas M/s Meenakshi Infrastructure Private Ltd., Hyderabad vide their letter dated 2nd August, 2006 filed an application for transfer of Operation and Maintenance of the Industrial Park named 'E Park' at Hyderabad to M/s Vijay Infotech Ventures, Secunderabad;

And whereas, the Central Government (Ministry of Commerce & Industry) vide letter No.15/13/05-IP&ID dated 9th August, 2006 considered the request of the undertaking for transfer of operations and maintenance to M/s Vijay Infotech Ventures, Secunderabad, Andhra Pradesh;

And whereas the Central Government (Ministry of Commerce & Industry) vide letter no/15/12/2006-ID dated 10.4.2007, approved amendment at para 7(vii) to the approval accorded vide approval no.15/13/2005-IP&ID dated 17th February, 2005;

M/s. Reel
15/7/15

And whereas, subsequently the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) vide letter No.15/12/2006-IP&ID dated 6th February, 2014 has rejected further amendment to the terms and conditions laid down vide its letter no.15/12/2006-ID dated 10th April, 2007;

And whereas, the undertaking has failed to adhere to the terms and conditions as laid down in the Industrial Park Scheme and by the Central Government vide the Ministry of Finance, Department of Revenue's Notification number S.O.No.3466, dated the 21st August 2006 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion's approval letter no.15/12/2006-ID dated 10th April, 2007;

Now, therefore the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Act read with section 21 of the General Clause Act, 1897 (10 of 1897), hereby rescinds the said notification No. S.O. 3466, dated the 21st August 2006 issued in the case of the undertaking with effect from 21st August 2006.

[Notification No. 37 /2015. F.No.178/72/2006-ITA-I]



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi-110064.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2015

का.आ. (अ) जबकि केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के कानूनी आदेश सं. 354(अ) द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा जाएगा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.02.2005 के पत्र सं.15/13/05-आईपी एंड आईडी के माध्यम से सर्वेक्षण सं.5,15,17 कोंडापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को एक औद्योगिक पार्क के रूप में अनुमोदन प्रदान किया था;

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण सं.5,15,17 कोंडापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3 के उपखंड (ii) में दिनांक 21 अगस्त, 2006 के का.आ. संख्या 3466 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने दिनांक 2 अगस्त, 2006 के पत्र द्वारा हैदराबाद स्थित 'डी पार्क' नामक औद्योगिक पार्क के प्रचालन और अनुरक्षण का हस्तांतरण मैसर्स विजय इन्फोटेक वेन्चर्स, सिकन्दराबाद को किए जाने हेतु आवेदन किया;

और जबकि केन्द्र सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 9 अगस्त, 2006 के अपने पत्र सं.15/3/05-आईपी एंड आईडी के जरिए उपक्रम के प्रचालन और

अनुरक्षण के कार्य को मैसर्स विजय इन्फोटेक वेंचर्स, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित किए जाने के अनुरोध पर विचार किया;


और जबकि केन्द्र सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 10.04.2007 के अपने पत्र सं.15/12/2006-आईडी के जरिए दिनांक 17 फरवरी, 2005 को अनुमोदन सं. 15/13/2005-आईपी एंड आईडी के माध्यम से दिए गए अनुमोदन में पैरा 7(vii) में किए गए संशोधन को अनुमोदित किया;

और जबकि, केन्द्र सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने तदन्तर दिनांक 6 फरवरी, 2014 के पत्र सं.15/12/2006-आईपी एंड आईडी के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के अपने पत्र सं. 15/12/2006-आईडी के जरिए निर्धारित शर्तों और निबंधनों में और कोई संशोधन करने का प्रस्ताव वापस कर दिया;

और जबकि, उपक्रम औद्योगिक पार्क स्कीम एवं केन्द्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ.3466, दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग के अनुमोदन सं.15/12/2006-आईडी दिनांक 10 अप्रैल, 2007 में निर्धारित शर्तों और निबंधनों को पूरा करने में असफल रही है;

अब, अतः केन्द्र सरकार, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड-(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 21 अगस्त, 2006 से उपक्रम के मामले में जारी दिनांक 21 अगस्त, 2006 की उक्त अधिसूचना सं.का.आ.3466 को रद्द करती है।

[अधिसूचना सं. 37 /2015/फा.सं. 178/72/2006-आईटीए-1]



(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप),

नई दिल्ली-110064